326/2020

30/3/20
23/01/20
23/03/20
10/01/20
10/9
4/9

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

कैलाशनाथ पुत्र गोपीनाथ जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथशाह का मन्दिर, बड़ी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर राज0 वगै0 — प्रार्थी

बनाम

1. लोकनाथ पुत्र श्री गोपीनाथ जाति ब्राह्मण निवासी एल-7, सुवर्णा अपार्टमेन्ट, 2बी/एद, निर्णयनगर, राणिप अहमदाबाद वगै0 — अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – 212 राज0 काश्तकारी अधि0 — नंबर 276/2019

ऑन लाईन नंबर 2019/00....

वकील प्रार्थीगण श्री भवानी सिंह — वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.12.2019	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भवानी सिंह ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 को इस आशय की वाद गुणावगुण निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि, अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 उपरोक्त अविभाजित संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को अन्तरण नहीं करने, बिना विभाजन करवाये अजनबी क्रेता के प्रतिस्वरूप प्रवेश नहीं करे तथा वाद निस्तारण के विभाजन की डिक्री तक उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाई रखी जावे। हमारे द्वारा प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। उपरोक्त रिकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से कारित होती है। अतः प्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी तारीख पेशी तक दोनो उभयपक्षों को ग्राम भामोलाव तहसील अंराई स्थित खसरा नम्बर 394 रकबा 0.0405 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 395 रकबा 3.3654 हैक्टेयर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से दिनांक 23.01.2020 तक पाबन्द किया जाता है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में आज दिनांक से पूर्व कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो उस पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 23.01.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	C/No. 326/2010 उनवान कैलाशनाथ v/s [illegible]
02/8/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी को सुबह से लेकर शाम 6:00 PM तक तीन बार आवाजें लगाई गई किन्तु वे अनुपस्थित है अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)